न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 40 / 2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
बागसिंह पुत्र धनाजी जाति रावणा राजपूत निवासी आलासन तहसील व जिला जालोर		1 रामसिंह गोदपुत्र छोगाजी जाति रावणा राजपूत निवासी आलासन तहसील व जिला जालोर 2 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री परमानन्द शर्मा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री अशोक माली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.12.17

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 40 / 2015 रामसिंह बनाम बागसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराज़ी के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया था, जिस पर अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब आदि साक्ष्य रेकर्ड पर नही होने के बावजूद भी लोक अदालत कैम्प माण्डवला में दिनांक 27.07.2015 को अन्तिम डिक्री जारी कर दी। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2016 को अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए जवाबदावा रेकर्ड पर लिया जावे एवं तनकीयात कायम कर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे एवं उसके पश्चात अन्तिम डिक्री जारी करने के सम्बन्ध में विधि सम्मत निर्णय पारित करें, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण को लोक अदालत में रख कर अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना जैर अपील निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों की किसी भी रूप में पालना नही की तथा विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए लोक अदालत में जैर अपील आदेश पारित किया। इन्हीं कमियों के कारण प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णय को अपास्त किया गया तथा इसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील गलत ढंग से जैर अपील निर्णय पारित किया। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प माण्डवला में दिनांक 27.07.2015 को निर्णय पारित करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये। उक्त भूमि मौके पर बंटी हुई है तथा मौके पर हुए विभाजन के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उससे अपीलाण्ट के हक किसी भी रूप में प्रभावित नही होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मजमें आम में उपस्थित पक्षकारान को सुन कर लोक अदालत के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए मजमें आम में निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत है। प्राथमिक डिक्री जारी करने के पश्चात भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स ही विभाजन होता है, जो लोक अदालत की भावना एवं त्वरित न्याय को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने एवं उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के आदेश पारित किए गए है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में ही पारिवारिक सेटलमेन्ट हो चुका है तथा मौखिक बंटवाडे अनुसार मौके पर पृथक पृथक काबिज है, मात्र राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना था, जो जैर अपील निर्णय के जरिये राजस्व रेकर्ड में विभाजन पश्चात इन्द्राज करने के आदेश पारित किये गये, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पारित निर्णय एवं निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम आलासन के खसरा नम्बर 26 रकबा 3.03 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन कर भूमि राजस्व रेकर्ड में पृथक से तरमीम कराते हुए अपीलाण्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि में दखल अन्दाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। इस पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया। इसके पश्चात लोक अदालत माण्डवला में प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया, इसकी सूचना जरिये नोटिस उभयपक्ष को दी गई, जो नोटिस उभयपक्ष से तामीलसुदा पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2015 को कैम्प माण्डबला में निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्थ भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के के हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने तथा विभाजन अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के आदेश तहसीलदार जालोर को दिये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 29.09.2016 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जावे, प्रतिवादी का जवाबदावा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रेकर्ड पर लिया जावे, वाद में तनकीयात कायम की जावें, प्राथमिक डिक्री जारी करने के बाद अन्तिम डिक्री जारी करते हुए अपना विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। इस निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया तथा अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। इसके बावजूद अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया। इसके पश्चात लोक अदालत कैम्प आलासन में दिनांक 04.07.2017 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की एवं तहसीलदार जालोर को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम आलासन के खसरा नम्बर 26 रकबा 3.0300 हैक्टेयर की भूमि बागसिंह पुत्र धन्ना, रामसिंह गोदपुत्र छोगा कौम रावणा राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि में अपीलाण्ट का 122 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा बनता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किए गए है, जिनमें विरूद्ध अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। राजस्व लोक अदालत की मंशा पक्षकारान को त्वरित न्याय उपलब्ध करवाना है, जिससे विवादों को कम किया जा सके एवं पक्षकारान को न्याय से महरूम न होना पड़े।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। इसमे तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने का नोटिस जारी कर, मौका जांच पश्चात प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है तथा यदि उससे पक्षकार को किसी प्रकार का शिकवा हो, तो वे न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने के आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2015 रामसिंह बनाम बागसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (कैम्प जालोर)